



कार्यालय संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक.०४/डा.बी.स.नि.७/७४
भोपाल, दिनांक २५/०२/२०१९

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
मध्यप्रदेश।
3. अधिष्ठाता/अधीक्षक/संचालक,समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालय
मध्यप्रदेश।

विषय:- मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना को दिनांक ३१.०३.२०१९ के बाद आयुष्मान भारत योजना "निरामयम्" में समाविष्ट किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- राज्य शासन का आदेश क्रमांक एफ १२-०७/२०१८/सत्रह/मेडि-३, दिनांक ३१.०५.२०१८

1. राज्य शासन के संदर्भित आदेश के बिन्दु क्रमांक ०६ के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (आयुष्मान भारत "निरामयम्") लागू होने के पश्चात् १ अप्रैल २०१९ से मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना मिशन में समाविष्ट हो जाएगी। शासन के आदेश क्रमांक एफ १२-०७/२०१८/सत्रह/मेडि-३, दिनांक ०५.१०.२०१८ के बिन्दु क्रमांक ०९ में राज्य बीमारी सहायता निधि ३१ मार्च २०१९ तक निरंतर क्रियान्वित होने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः राज्य बीमारी सहायता निधि योजना १ अप्रैल २०१९ से "राष्ट्रीय स्वास्थ्य-सुरक्षा मिशन" (आयुष्मान भारत "निरामयम्") में समाविष्ट हो जायेंगी।

2. उपरोक्त संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:-

- (1) राज्य शासन के निर्णय अनुसार राज्य बीमारी सहायता निधि योजना में ३१ मार्च २०१९ के पश्चात् इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध (empanelled) अस्पतालों द्वारा मरीजों का पंजीयन नहीं किया जाए।
- (2) राज्य शासन के निर्देश अनुसार राज्य बीमारी सहायता निधि योजना १ अप्रैल २०१९ से आयुष्मान भारत "निरामयम्" में समाविष्ट हो जाने से राज्य बीमारी योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों का पंजीयन इस योजना के अंतर्गत ३१/०३/२०१९ के पश्चात् निरस्त माना जाए।
- (3) राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अंतर्गत ३१ मार्च २०१९ तक पंजीकृत मरीजों के ईलाज एवं सूचीबद्ध अस्पतालों को पैकेज की कीमत/लागत के भुगतान के लिए ३१ दिसम्बर २०१९ तक ९ माह का अधिकतम समय दिया जाए। ३१ दिसम्बर २०१९ के पश्चात्

आने वाले किसी भी क्लेम का भुगतान राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अंतर्गत मान्य नहीं होगा ।

- (4) ऐसे निजी अस्पताल जो आयुष्मान भारत में पंजीकृत नहीं हैं एवं जिनकी पंजीकरण अवधि राज्य बीमारी सहायता निधि योजना में समाप्त हो चुकी है, ऐसे अस्पतालों को दिनांक 31 मार्च 2019 तक पंजीकरण का नवीनीकरण उनके विकल्प पर किया जाए।
- (5) दिनांक 1 अप्रैल 2019 के पश्चात् समस्त पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान भारत "निरामय" में ही नियमानुसार पंजीयन कर लाभान्वित किया जाए।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित

8/24/2
(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

पृ.क. 4/रा0बी0सहा0नि0/एफ-332/सेल-2/2019/74

भोपाल, दिनांक 25/02/2019

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामय, जय प्रकाश अस्पताल, आई.सी.ब्यूरो, प्रथम तल, भोपाल।
4. संचालक, आई.टी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, म.प्र.।
5. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, म.प्र.।
6. समस्त, कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
9. प्रभारी, एम.आई.एस. डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. रिशिका श्रीवास्तव, Assistant Marketing Executive, एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड निरूपम शॉपिंग मॉल, 2nd फ्लोर, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल।

8/24/2
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश